प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजीपुर ।

सेवामे,

प्रबन्धक / प्रधानाध्यापक
सन फलावर पब्लिक स्कूल बरहपुर नन्दगंज देवकली, गाजीपुर।

पत्रांक / 2733-92 / नवीन मान्यता / 2009–2010 दिनांक– 26.8.2009

विषय– अशासकीय बेसिक प्राइमरी पाठशाला (कक्षा 1 से 5 तक) की नवीन स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध मे ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1073 / 15–6–98–18एस(7) / 89 दिनांक 13 जूलाई 1998 एवं शासनादेश संख्या 1878 / 15–6–98–18एस(7) / 89 दिनांक 10 सितम्बर 1998 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जिला मान्यता समिति गाजीपुर द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तक की अस्थायी मान्यता आदेश निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष तक के लिए निम्नांकित प्रतिबन्धों / शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

1– समिति के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नियमित रूप से कराया जाय ।
2– विद्यालय के पास उपयुक्त प्रार्थना स्थल होना चाहिए तथा क्रीड़ा स्थल हेतु 1/2 एकड़ भूमि होनी चाहिए ।
3– छात्र संख्या के अनुसार विद्यालय के पास निजी भवन / भूमि लिन्टर्ड / टिनशेड / एसबेस्टस / खपरैल का होना चाहिए।
4– विधालय के पास उपयुक्त सुरक्षित कोष संदान आदि को सम्मिलित करते हुए प्रर्याप्त वित्तीय व्यवस्था हो ।
5– शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक किसी भी छात्र / छात्राओं से शुल्क अथवा चन्दा न लिया जाय ।
6– विद्यालय मे योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाय किसी भी दशा मे अप्रशिक्षित अध्यापक न रखें जाय ।
7– अध्यापको की नियुक्ति नियमानुसार 'उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1972' मे उल्लिखित नियमों के अन्तर्गत इस कार्यालय से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाय ।
8– विद्यालय मे परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम निदशानुसार शिक्षणव्यवस्था करायी जाय।
9– विधालय मे मान्य पुस्तकें ही पढ़ायी जाय ।
10– बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापकों के बराबर अध्यापकों को वेतन का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाय।
11– विभागीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये विधिपूर्ण आदेशों / निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
12– विद्यालय का स्थान परिवर्तन किये जाने पर मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

हंसा देवी
Manager
Sun Flower Public School
Nandganj-Ghazipur

क्रमशः 02 पर——

13– यदि किसी भी तथ्य को छिपाकर यह मान्यता प्राप्त की गई होगी तो बाद मे पता चलने पर अथवा जांच करने पर मान्यता निरस्त कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारियों का होगा।

14– 05 (पांच वर्ष) अथवा मान्यता निर्गत होने की तिथि से पांच वर्ष के अन्दर स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थायी मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तों को उक्त अवधि मे पूरा करना भी अनिवार्य होगा अथवा मान्यता विस्तारण (नवीनीकरण) करने का कोई प्राविधान नही है।

भवदीय

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

पृ०स० / /2007–2008 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर।
2– सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
3– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदशक (बेसिक) वाराणसी मण्डल वाराणसी।
4– उप बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर।
5– जिला समाज कल्याण अधिकारी गाजीपुर।
6– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गाजीपुर।
7– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गाजीपुर।
8– जिला विकलांग कल्याण अधिकारी गाजीपुर।
9– परियोजना निदेशक,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गाजीपुर।
10– नगर शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र गाजीपुर।
11– कार्यालय पत्रावली।

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

हंसा देवी
Manager
Sun Flower Public School
Nandganj-Ghazipur

कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।

पत्रांकः मान्यता/ 29840-45 /2020-21 दिनांकः 23-03-2021

प्रबन्धक,

सन फ्लावर पब्लिक स्कूल ,

बरहपुर, नन्दगंज, विकास खण्ड– देवकली,

गाजीपुर।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.09.2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध मे विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं **सन फ्लावर पब्लिक स्कूल, बरहपुर, नन्दगंज, विकास खण्ड– देवकली, गाजीपुर** को तारीख 23.03.2021 से तारीख 22.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा 06 (छः) से कक्षा 08 (आठ)** तक **(अंग्रेजी माध्यम)** के लिए शासनादेश संख्या–196/अडसठ–3–2020–2041 /2018 दिनांक 29.06.2020 तथा शासनादेश संख्या–89/अडसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11.01.2019 में निहित प्राविधानानुसार अस्थायी मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमे किसी भी रूप मे कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध–2) के उपबधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 मे (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा मे फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड–परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	– 6590 वर्ग मीटर।
कुल निर्मित क्षेत्र	– 1302.64 वर्ग मीटर।
क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल	– उपलब्ध
कक्षाओं की संख्या	– नौ (09)
अध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडागार के लिए कक्ष	– दो (2)
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	– उपलब्ध
पेयजल सुविधा	– उपलब्ध
मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई	– उपलब्ध
बाधारहित पहुंच	– उपलब्ध
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता	– उपलब्ध

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 06-08 (E) 615/2020 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीय

(श्रवण कुमार गुप्ता)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

पृष्ठांकन संख्या मान्यता/ /2020–21 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
3– सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4– वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, गाजीपुर।
5– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।
6– कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।